न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 300 सन् 2012
पंजीयन दिनांक 06.09.2012

भगवानलाल पिता गोकल जाति मीणा निवासी अरथला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलांट

विरूद्ध

1. माणा पिता हरिराम जाति मीणा–मृतक के बजाय
   1. केशरीबाई पत्नि माणा जाति मीणा निवासी अरथला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
   2. नाथु पिता माणा जाति मीणा निवासी अरथला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
   3. किशनलाल पिता माणा जाति मीणा निवासी अरथला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
   4. मोतिया पत्नि मोती जाति मीणा निवासी भोपजी का खेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
5. नारायण पिता माणा जाति मीणा–मृतक के बजाय
   1. लाली पत्नि नारायण जाति मीणा निवासी अरथला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
   2. संगीता पुत्री नारायण नाबालिग बवियात संरक्षक माता लालीबाई पत्नि नारायण जाति मीणा निवासी अरथला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
प्रकरण संख्या 99/2010 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011

उपस्थित- 1. छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलान्ट
2. सम्पत कुमार जणवा-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.1 से 4, 5/1 व 5/2

निर्णय **दिनांक 14.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा अरथला तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 35, 434/35, 104, 171, 469/181, 475/200, 538/311, 484/249, 412/265, 413/267 कुल किता 10 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर कृषि आराजीयात स्थित है। उक्त कृषि आराजीयात मे से आराजी नम्बर 104 रकबा 0.506 हैक्टेयर आराजी नम्बर 434/35 रकबा 0.835 हैक्टेयर प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा नाजायज कब्जा कर लिये जाने के कारण रेस्पोडेन्टगण वादीगण को कब्जा दिलाये जावे। उक्त कृषि आराजीयात प्रकरण सं. 127/99 रेवेन्यू वाद के द्वारा बंटवाडे से रेस्पोडेन्टगण वादीगण को प्राप्त हुई है। उसमे अपीलान्ट प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पत्थरगढी प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 95/2007 प्रस्तुत किया। दिनांक 15.06.2007 को पत्थरगढी करवाई गई जिसमे उक्त दोनो कृषि आराजीयात पर अपीलान्ट प्रतिवादी का नाजायज कब्जा पाया गया। अपीलान्ट प्रतिवादी से मिन्स प्रोफिट दिलाया जाकर उक्त कृषि आराजीयात का कब्जा रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण को दिलाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत हुआ जिसमे अंकित किया कि मूलवाद के विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है, जो न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय मे जेर कार्यवाही है जिससे रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र चलने योग्य नही है। इसके साथ ही प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 जाप्ता दिवानी भी प्रस्तुत किया गया। दोनो प्रार्थना पत्र प्रतिवादी अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये। अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 29.06.2011 को हिदायत पैरवी नही होना जाहिर करने से अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना प्रतिवादी अपीलान्ट को सूचित किये अग्रिम कार्यवाही की जाकर वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण का वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित कर दी।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की व म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर कर. जाकर रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी ने अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट प्रतिवादी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट प्रतिवादी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अव्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण ने अपीलान्ट प्रतिवादी के कब्जे मे चली आ रही आराजी नम्बर 104 व आराजी नम्बर 434/35 के कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण ने उक्त सम्पूर्ण कृषि आरजीयात के सम्बन्ध मे बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण सं. 127/99 निर्णय व डिक्री होकर उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजीयात रेस्पोडेन्टगण वादीगण के बंटवाडे मे रखी गई। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी ने न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत की गई जो जैरकार रहते हुए रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने कब्जेयाबी का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 10 व आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जैर कार्यवाही रहते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नही होना जाहिर किया। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का कर्त्तव्य था कि अपीलान्ट प्रतिवादी को सूचना पत्र जारी करते फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की जाकर उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण के बयान लिये जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। जो विधिसम्मत नही होने से व विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे सक्षम न्यायालय मे अपील जैरकार होने से अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात पूर्व मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड रही थी। जिसके सम्बन्ध मे बंटवाडे का वादपत्र प्रकरण सं. 127/99 उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी के न्यायालय मे चल कर दिनांक 08.04.2005 को अंतिम निर्णय व डिक्री किया गया है। उसी के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे आराजी नम्बर 104 व आराजी नम्बर 434/35 बंटवाडे से रेस्पोडेन्टगण वादीगण के हक व हिस्से मे दर्ज की गई। अपीलान्ट प्रतिवादी ने उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर न्यायालय आप मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो अपील क्रमांक 225/2007 डिक्री दर्ज होकर दिनांक 28.03.2011 को अपीलान्ट प्रतिवादी की अपील निरस्त होकर बंटवाडे की अंतिम निर्णय व डिक्री यथावत रखी है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादपत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी प्रदर्श-1 नकल नक्शा ट्रेस, नकल पत्थरगढी पर्चा मौका प्रस्तुत किया। नकल पत्थरगढी पर्चा मौका प्रदर्श-3 मे आराजी नम्बर 104 व आराजी नम्बर 434/35 रेस्पोडेन्टगण वादीगण के खातेदारी मे दर्ज होकर अपीलान्ट प्रतिवादी का कब्जा पाया गया। उक्त कब्जा प्राप्त करने हेतु रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलान्ट प्रतिवादी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुआ प्रार्थना पत्र धारा 10 व प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया जो सुनवाई हेतु नियत था। अपीलान्ट प्रतिवादी के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नही होना जाहिर किया जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण वादीगण की साक्ष्य लिवाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होने से वादपत्र डिक्री किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी से रेस्पोडेन्टगण वादीगण को कब्जा दिलाये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत होने से अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अपने खातेदारी मे दर्ज आराजी नम्बर 104 व 434/35 जो रेस्पोडेन्टगण वादीगण के खातेदारी मे बंटवाडे से दर्ज है। उक्त कृषि आराजीयात का सक्षम न्यायालय से प्रकरण सं. 127/99 से बंटवाडा होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील क्रमांक डिक्री 225/2007 प्रस्तुत की जो इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.03.2011 को निर्णित की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड बड़ीसादड़ी प्रकरण सं. 127/1999 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2005 को यथावत रखे जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे रेस्पोडेन्टगण वादीगण अपने खातेदारी मे दर्ज आराजी नम्बर 104 व 434/35 पर कब्जा बनाये रखे जाने के अधिकारी है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने उक्त कृषि आराजीयात की प्रकरण सं. 95/2007 से दिनांक 15.06.2007 को भू-अभिलेख निरीक्षक डेलवास तहसील डूंगला द्वारा पत्थरगढी करवाई गई। उक्त पत्थरगढी पर्चे मौके मे आराजी नम्बर 104 रकबा 0.506 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 434/35 रकबा 0.835 हैक्टेयर सम्पूर्ण रेस्पोडेन्टगण वादीगण के खातेदारी मे दर्ज है। उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलान्ट प्रतिवादी का कब्जा होना पाया गया है। जिससे रेस्पोडेन्टगण वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलान्ट प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाब हेतु अवसर चाहा। जवाब प्रस्तुत नही कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। जो सुनवाई हेतु विचाराधीन था। अपीलान्ट प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रकरण मे हिदायत पैरवी नही होना जाहिर करने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण वादीगण की साक्ष्य ली जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए व बंटवाडे की डिक्री सक्षम न्यायालय के द्वारा यथावत रखे जाने से रेस्पोडेन्टगण वादीगण को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होना मानते हुए वादपत्र डिक्री किया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण संख्या 99/2010 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निणय आज दिनांक 14.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 300/2012 /डिक्री

श्री भगवानलाल पिता गोकल जाति मीणा निवासी अरथला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़। बनाम

(1) श्री माणा पिता हरिराम जाति मीणा - मृतक के बजाय -
(1) केशरीबाई पत्नि माणा जाति मीणा निवासी अरथला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
(2) नाथु पिता माणा जाति मीणा निवासी अरथला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(3) किशनलाल पिता माणा जाति मीणा निवासी अरथला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलान्ट

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगला .... दि. 29-07-2011
प्रकरण सं. 99/2010 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 .... रा.का.अ. 1955
निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 14-12-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री सम्पत कुमार जणवा अप्रार्थी सं. 1 से 4, 5/1, व 5/2 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलान्ट प्रतिवादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण संख्या 99/2010 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 29-07-2011 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ......-...... रुपये हैं, ...-...... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ......-...... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 14-12-2022 अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

(2)

(4) मोतिया पत्नि मोती जाति [illegible] निवासी भोपजी का खेड़ा [illegible] डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

(5) नारायण पिता भाणा जाति मी[illegible] मृतक के बजाय —

(1) लाली पत्नि नारायण जाति मीणा निवासी अरवला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

(2) संगीता पुत्री नारायण नाबालिग बवियात संरक्षक माता लालीबाई पत्नि नारायण जाति मीणा निवासी अरवला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)